मुकदमा नम्बर 05/2021
अनवानः– अमराराम बनाम प्रेमा
निर्णय तारीख 20.08.2025

# न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

**पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.**

**राजस्व वाद संख्या 05/2021** **जीसीएमएस नम्बर 2021/12**

**अनवान**

1. अमराराम पुत्र आदा।
2. जसाराम पुत्र आदा।
3. रामाराम पुत्र आदा जातियान कुम्हार निवासीगण वासन चौहान तहसील सांचौर जिला जालोर।

**वादी.........**

1. प्रेमा पुत्र मगा।
2. हीरा पुत्र मगा जातियान कुम्हार निवासीगण वासन चौहान तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर।
4. उप पंजीयक सांचौर तहसील सांचौर, जिला जालोर

**प्रतिवादीगण......**

**दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955**

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचंद्र पुरोहित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एकपक्षीय।

**–:निर्णयः–**

दिनांकः– 20.08.2025

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 28.01.2025 सहरद मौजा ग्राम वासन चौहान पटवार हल्का बावरला में वादीगण तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता नम्बर 06 खसरा नम्बर 587 रकबा 1.26 हैक्टर खसरा नम्बर 588 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 589 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.25 हैक्टर जुमले रकबा 2.57 हैक्टर में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श अ व ब के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2025/114 दिनांक [illegible] के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा [illegible] पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक भू.अ./2025/2720 दिनांक 11.07.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.09.09 15:30:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

| क्र. स | खातेदार का नाम | खसर नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अमराराम पुत्र आदा। जसाराम पुत्र आदा। रामाराम पुत्र आदा जातियान कुम्हार हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार | 587 | 1.26 | 1.26 | बारानी सोयम | गुलाबी | 1.89 |
| 2. | प्रेमा पुत्र मगा। हीरा पुत्र मगा जातियान कुम्हार हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार | 588 | 0.03 | 0.03 | गैर मु. ढ़ाणी | बैंगनी | — |
| | | 589 | 0.03 | 0.03 | गैर मु. ढ़ाणी | | — |
| | | 590 | 1.25 | 1.19 | बारानी सोयम | | 1.79 |
| — | — | कुल | 1.31 | 1.25 | — | | 1.79 |
| 3. | अमराराम, जसाराम, रामाराम पुत्र आदा जातियान कुम्हार हिस्सा 1/2 प्रेमा, हीरा पुत्र मगा जातियान कुम्हार हिस्सा 1/2 (रास्ता प्रयोजनार्थ) | 590 | 1.25 | 0.06 | बारानी सोयम | आसमानी | 0.09 |

4. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

मुकदमा नम्बर 05/2021
अनवान:– अमराराम बनाम प्रेमा
निर्णय तारीख 20.08.2025

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

## (आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
## (civil procedure code, Appendix “D”-1)

# अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

**पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.**

**अनवान**

1. अमराराम पुत्र आदा।
2. जसाराम पुत्र आदा।
3. रामाराम पुत्र आदा जातियान कुम्हार निवासीगण वासन चौहान तहसील सांचौर जिला जालोर।

**वादी.........**

1. प्रेमा पुत्र मगा।
2. हीरा पुत्र मगा जातियान कुम्हार निवासीगण वासन चौहान तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर।
4. उप पंजीयक सांचौर तहसील सांचौर, जिला जालोर

**प्रतिवादीगण......**

**अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 05/2021**

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री प्रकाशचंद्र पुरोहित प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एकपक्षीय। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

| क्र. स | खातेदार का नाम | खसर नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अमराराम पुत्र आदा। जसाराम पुत्र आदा। रामाराम पुत्र आदा जातियान कुम्हार हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार | 587 | 1.26 | 1.26 | बारानी सोयम | गुलाबी | 1.89 |
| 2. | प्रेमा पुत्र मगा। हीरा पुत्र मगा जातियान कुम्हार हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार | 588 | 0.03 | 0.03 | गैर मु. ढाणी | बैंगनी | – |
| | | 589 | 0.03 | 0.03 | गैर मु. ढाणी | | – |
| | | 590 | 1.25 | 1.19 | बारानी सोयम | | 1.79 |
| – | – | कुल | 1.31 | 1.25 | – | | 1.79 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अमराराम, जसाराम, रामाराम पुत्र आदा जातियान कुम्हार हिस्सा 1/2 प्रेमा, हीरा पुत्र मगा जातियान कुम्हार हिस्सा 1/2 (रास्ता प्रयोजनार्थ) | 590 | 1.25 | 0.06 | बारानी सोयम | आसमानी | 0.09 |

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20.08.2025 को जारी की गई

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दयलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 4 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 | 00 | जवाबदावा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 00 |
| महनताना वकील | 0 | 00 | महनताना वकील | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| फीस कमीश्नर | 0 | 00 | फीस कमीश्नर | 0 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| मुतफरिक | 0 | 00 | मुतफरिक | 0 | 00 |
| मौजाना | 6 | 00 | | 0 | 00 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर